

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवरिया
प्रशासनिक आदेश प्रस्ताव संख्या: 09/2025 **दिनांक: 28 अप्रैल 2025**

वर्ष 2025 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के वार्षिक स्थानान्तरण आदेश के फलस्वरूप वर्तमान में इस जनपद में एक न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की एवं एक न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर की रिक्त हो गयी हैं। पूर्व से ही जनपद में मजिस्ट्रेटगणों की संख्या अत्यंत कम है। उक्त के सम्बन्ध में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से विचार विमर्श के उपरान्त एवं माननीय उच्च न्यायालय के Circular Letter No-C-394/JR(S)/94 dated May 21,1994 के दृष्टिगत सिविल जज,सी0डि0, सिविल जज,जू0डि0 कक्ष संख्या-18 को भी आपराधिक वादों का क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाता है तथा **समस्त रिक्त न्यायालयों से क्षेत्राधिकार वापस लेते हुए समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालयों में फौजदारी वादों से सम्बन्धित क्षेत्राधिकार** के सम्बन्ध में निम्नवत संशोधित व्यवस्था की जाती है:-

क्र० सं०	पीठासीन अधिकारी	न्यायालय	प्रस्तावित थानों का क्षेत्राधिकार
01	श्रीमती मंजू कुमारी	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवरिया।	1-कोतवाली, गौरीबाजार, रामपुर कारखाना, बनकटा, जी0आर0पी0देवरिया, साइबर काइम थाना देवरिया से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद, अन्तिम रिपोर्ट व प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र 173 (4), 174 (2), बी.एन.एस.एस वाहन रिलीज व सुनवाई का क्षेत्राधिकार। 2- सरकारी कर्मचारी से सम्बन्धित सभी प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा- 173 (4) बी.एन.एस.एस की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के C.L.N0-33A/Allahabad,dated:21/10/2011 के अनुरूप अनन्यतः इस न्यायालय, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,द्वारा की जायेगी। 3- सम्पूर्ण जनपद के जघन्य अपराध अन्तर्गत धारा-302/304/304बी/396 भा0दं0सं0 तथा बी0एन0एस0 की नवीन धारा-103, 105, 80 व 310(3) से सम्बन्धित एवं नवीन बी.एन.एस.में

			समरूप धाराओं से सम्बन्धित मामले/वाद एवं उक्त धाराओं से सम्बन्धित समस्त प्रार्थनापत्र 173 (4), 174 (2), बी.एन.एस.एस। 4- सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित आपराधिक वाद के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग अनन्यतः इस न्यायालय, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा किया जायेगा। 5- पुलिस मामलों को छोड़कर आबकारी विभाग से सम्बन्धित समस्त मामले, यातायात व आर.टी.ओ. से सम्बन्धित मामले, नगरपालिका अधिनियम, दुकान व वाणिज्य अधिनियम मनोरंजन कर विभाग व श्रम विभाग द्वारा किये गये चालान तथा मण्डी समिति अधिनियम, कीटनाशक अधिनियम के अन्तर्गत किये गये चालान, खनिज एवं खनन अधिनियम, जिला पंचायत अधिनियम एवं विशेष अधिनियम, जिनका क्षेत्राधिकार अन्य किसी न्यायालय को नहीं दिया गया है।
02	श्री विवेक कुमार सिंह-II	सिविल जज, सी०डी०/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय, कक्ष संख्या-18, देवरिया।	1- थाना-बरहज देवरिया से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद, परिवाद, व NI Act से सम्बन्धित वाद, अन्तिम रिपोर्ट व प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र 173 (4) 174 (2), बी.एन.एस.एस, सम्बन्धित थाना के मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय एन०डी०पी० एस०एक्ट, वाहन रिलीज व सुनवाई का क्षेत्राधिकार, प्रदान किया जाता है।
03	सुश्री प्रज्ञा सिंह-III	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, MP/MLA न्यायालय, कक्ष संख्या-19, देवरिया।	1- थाना- श्रीरामपुर, सुरौली, खामपार, बघौचघाट, तरकुलवा, जी.आर.पी. भटनी, सलेमपुर से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद, परिवाद, NI Act के परिवाद, अन्तिम रिपोर्ट व प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र 173 (4), 174 (2), बी.एन.एस.एस., सम्बन्धित थाना के मजिस्ट्रेट द्वारा

			परीक्षणीय एन0डी0पी0एस0एक्ट के वादों की सुनवाई एवं निस्तारण का क्षेत्राधिकार व साथ ही थाना-बघौचघाट, तरकुलवा व सुरौली से सम्बन्धित घरेलू हिंसा वाद की सुनवाई व निस्तारण का क्षेत्राधिकार को प्रदान किया जाता है। 2- थाना कोतवाली से सम्बन्धित समस्त परिवाद एवं NI Act के परिवाद व घरेलू हिंसा वाद की सुनवाई व निस्तारण का क्षेत्राधिकार। 3- सम्पूर्ण जनपद के मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित वादों की सुनवाई एवं निस्तारण का क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाता है। 4- सम्पूर्ण जनपद के मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय एम.पी./एम.एल.ए.से सम्बन्धित वादों की सुनवाई एवं निस्तारण का क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाता है। 5- सम्पूर्ण जनपद के मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय 7/16 पी.एफ.एक्ट, 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, बांट एवं माप अधिनियम एवं अन्य आर्थिक मामलों से सम्बन्धित वादों की सुनवाई एवं निस्तारण का क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाता है।
04	सुश्री शैलजा मिश्रा	सिविल जज,सी0डि0/एफ.टी.स.प्रथम/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवरिया।	1- थाना-लार, भटनी, मईल व रूद्रपुर से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद, परिवाद,अन्तिम रिपोर्ट व प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र 173 (4) 174 (2), बी.एन.एस.एस, सम्बन्धित थाना के मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय एन0 डी0पी0एस0एक्ट,NI Act से सम्बन्धित वाद, वाहन रिलीज व सुनवाई का क्षेत्राधिकार व साथ ही थाना-भटनी व रूद्रपुर से सम्बन्धित घरेलू हिंसा वाद की सुनवाई व निस्तारण का क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाता है।

			2- थाना रामपुर कारखाना व गौरीबाजार से सम्बन्धित घरेलू हिंसा वादों की सुनवाई व निस्तारण का क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाता है।
05	श्रीमती इन्दू नागर	अपर सिविल जज, (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं०-26, देवरिया।	1- थाना-भाटपार रानी, मदनपुर, बरियारपुर व एकौना से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद, परिवाद, अन्तिम रिपोर्ट व प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र 173 (4), 174 (2), बी.एन.एस.एस, सम्बन्धित थाना के मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय एन०डी०पी०एस०एक्ट, NI Act से सम्बन्धित वाद, वाहन रिलीज व सुनवाई का क्षेत्राधिकार, साथ ही थाना मदनपुर व एकौना से सम्बन्धित घरेलू हिंसा वाद की सुनवाई व निस्तारण का क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाता है।
06	सुश्री स्नेहा सिंह-॥	अपर सिविल जज, (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं०-20, देवरिया।	1- थाना-महुआडीह, खुखुन्दू, भलुअनी से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद, परिवाद, अन्तिम रिपोर्ट व प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र 173 (4), 174 (2), बी.एन.एस.एस, सम्बन्धित थाना के मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय एन० डी०पी०एस०एक्ट, NI Act से सम्बन्धित वाद, वाहन रिलीज व सुनवाई का क्षेत्राधिकार, साथ ही थाना-महुआडीह व खुखुन्दू से सम्बन्धित घरेलू हिंसा वाद की सुनवाई व निस्तारण का क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाता है। 2- थाना बनकटा व गौरीबाजार से सम्बन्धित समस्त परिवाद एवं NI Act के परिवाद की सुनवाई व निस्तारण का क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाता है।

07	नवनीत सिंह-II	कुमार अपर सिविल जज, (जू0डि0)/एफ0टी0सी0 द्वितीय (CAW), देवरिया।	1- थाना- महिला थाना से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद, परिवार, व घरेलू हिंसा से सम्बन्धित समस्त अन्य प्रकरण। 2- महिला के विरुद्ध किये गये अपराध जो कि भा0दं0सं0 के अन्तर्गत धारा-498ए, 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 509 तथा नवीन बी0एन0एस0 की धारा-74, 78(2), 79, 85 के सम्पूर्ण जनपद के समस्त थानों के पुलिस चालानी वाद तथा परिवार की सुनवाई एवं निस्तारण का क्षेत्राधिकार।
08	आदित्य नाथ शर्मा	अपर सिविल जज, (जू0डि0)/एफ0टी0सी0 प्रथम, देवरिया।	1- थाना-रामपुर कारखाना, जी.आर.पी. देवरिया से सम्बन्धित समस्त परिवार केस व NI Act के परिवार।

दिनांक / देवरिया
अप्रैल 28, 2025

(मंजू कुमारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देवरिया

सभी सम्बन्धित न्यायालयों के लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि वे समस्त पत्रावलियों को सम्बन्धित न्यायालय में **भौतिक रूप से 10 दिन के अन्दर** नियमानुसार प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें एवं उन्हें **एन.जे.डी.जी** पर भी सम्बन्धित न्यायालय में अन्तरित करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :-

- 1- आदेश की प्रति माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अवलोकनार्थ एवं सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0-17, देवरिया।
- 3- सिविल जज, सी0डि0 / अपर मुख्य न्यायिक मजि0 कक्ष संख्या-18, देवरिया।
- 4- अपर मुख्य न्यायिक मजि0, कक्ष सं0-19, देवरिया।
- 5- अपर मुख्य न्यायिक मजि0, कक्ष सं0-15, देवरिया।
- 6- अपर सिविल जज, सी0डि0 / एफ0टी0सी0 प्रथम / अपर मुख्य न्यायिक मजि0 देवरिया।
- 7- अपर सिविल जज, जू0डि0 / न्यायिक मजि0, कक्ष सं0-25, देवरिया।
- 8- अपर सिविल जज, जू0डि0 / न्यायिक मजि0, कक्ष सं0-26, देवरिया।
- 9- अपर सिविल जज, जू0डि0 / न्यायिक मजि0 कक्ष सं0-20, देवरिया।
- 10- अपर सिविल जज, जू0डि0 / एफ.टी.सी. प्रथम / न्यायिक मजि0 देवरिया।
- 11- अपर सिविल जज, जू0डि0 / एफ.टी.सी. द्वितीय (CAW) / न्यायिक मजि0 देवरिया।
- 12- अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, जनपद न्यायालय, देवरिया।

- 13- संयुक्त अभियोजन, अभियोजन, देवरिया।
- 14- कम्प्यूटर अनुभाग में जनपद न्यायालय की अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 15- एक प्रति गार्ड फाइल में अनुरक्षित किया जाय।

दिनांक / देवरिया
अप्रैल 28, 2025


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,,
देवरिया